न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 82/2016/टीए

देवीलाल आत्मज प्यारा तेली
निवासी नयागांव तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

कमलीबाई पत्नि हीरालाल तेली
निवासी चेंची तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 27.06.2016 प्रकरण सं. 134/2015

उपस्थित – 1. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भोलेश भट्ट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 08.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया एवं उसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषधाज्ञा जारी की गइ। अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यो को समझे बिना जवाब व सुनवाई का अवसर दिये बिना यह आदेश दिया जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की और बिना सूचना के पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मे रख दी। रेस्पोडेन्ट का मेरे परिवार से कोई सम्बन्ध नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत सजरे मे भी रेस्पोडेन्ट स्व0 प्याराजी की संतान नही है। ऐसी अवस्था मे लोक अदालत मे यह तथ्य कैसे सामने आ गया कि वह स्वर्गीय प्याराजी की पुत्री होकर मेरी बहिन है। निर्णय दिनांक 27/06/2016 को होना बताया गया है जिसकी अपीलान्ट को सूचना नही थी। अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनो कारक का उल्लेख/विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं सम्पूर्ण परिस्थितियो को देखते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उल्लेखित तीनो कारको का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 134/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 27/06/2016 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ